

भारत सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए आवेदित अन्य पिछड़ी जातियों के द्वारा प्रदेय प्रमाण पत्र का प्रारूप :

प्रमाणित किया जाता है कि -----
आत्मज ----- गांव ----- जिला प्रभाग -----
----- राज्य ----- समुदाय का है जो निम्नांकित के अधीन पिछड़ी जाति के रूप में
मान्य है।

- * (1) भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/68/93 - पि. वर्ग. जा. (जा) दिनांक 10.09.1993 भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 1, अनुच्छेद 1 दिनांक 13.09.1993 में प्रकाशित और
- * (2) भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/9/94 - पि. वर्ग. जा. (जा) दिनांक 19.10.1994 भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 1, अनुच्छेद 1 संख्या 163 दिनांक 20.10.1994 में प्रकाशित
- * (3) भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/7/95 - पि. वर्ग. जा. (जा) दिनांक 24.05.1995 भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 1, अनुच्छेद 1 संख्या 88 दिनांक 25.05.1995.
- * (4) भारत सरकार कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/44/96 - पि. वर्ग. जा. (जा) दिनांक 06.12.1996 भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 1, अनुच्छेद 1 संख्या 210 दिनांक 11.12.1996.

श्री ----- और उनका परिवार साधारणतः राज्य के -----
----- जिले / प्रभाग में निवास करता है / करते हैं। यह भी
प्रमाणित किया जाता है कि वह या उन व्यक्तियों / भागों (क्रीमी लेयर) का नहीं है जिसका जिक्र स्थंभ 3 सूची, भारत
सरकार कार्मिक व प्रशिक्षण ओम. एम. नं. 36012/22/93 संस्थापन (अ.व.जा.) दिनांक 8.9.1993 में हुआ है।

जिला न्यायाधीश
उप आयुक्त

दिनांक :

मुहर

* जो लागू नहीं है काट दें।

ध्यान दें (अ) यहां प्रयुक्त 'साधारणतः' शब्द का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 20 में
निहित हैं।

(आ) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सक्षम प्राधिकारी निम्नांकित हैं:

(1) जिला न्यायाधीश / अपर जिला न्यायाधीश / समाहर्ता / उप आयुक्त / अपर उप आयुक्त / उप समाहर्ता / प्रथम श्रेणी
स्टैपेंडरी न्यायाधीश / उप मंडल न्यायाधीश / तालुका न्यायाधीश / कार्यपालक न्यायाधीश / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम
श्रेणी स्टैपेंडरी न्यायाधीश रैंक से कम नहीं)

(2) मुख्य अध्यक्षीय न्यायाधीश / अपर मुख्य अध्यक्षीय न्यायाधीश / अध्यक्षीय न्यायाधीश

(3) तहसीलदार रैंक से कम न रहनेवाले राजस्व अधिकारी

(4) अभ्यर्थी या उसके परिवार रहने के क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी